न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना—कुचामन

पीठासीन अधिकारी—श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या— 50/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/149

प्रार्थी		अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद अधिकारी, डीडवाना—कुचमान।	बनाम	श्री गोगसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह निवासी थाणू तहसील डीडवाना मैसर्स सरपंच होटल सालासर रोड़ डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः—

1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री केशव औझा वकील अप्रार्थी की ओर से

—ःआदेशः— दिनांकः 11.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः—

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार दुरूपयोग के विरूद्व अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को श्री विरेन्द्र सिहं जाखड जिला रसद अधिकारी, डीडवाना—कुचामन, सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक व श्री ओमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सालासर रोड डीडवाना स्थित मैसर्स सरपंच होटल पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री गोगसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह निवासी थाणू उपस्थित मिलें, जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुये पाये गये। घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र के बारे में पूछ करने पर इसके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री गोगसिंह द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	222665	12.2 किग्रा
2.	भारत गैस	106276–B	0
3.	इण्डेन	163295–E	14.2 किग्रा

उपरोक्त 03 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स सूपका इण्डेन गैस सूपका के प्रतिनिधि श्री जिया गौरी की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री गोगसिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री केशव औझा ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री गोगसिंह के होटल पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री गोगसिंह के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व गोगसिंह ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर सुपका गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि ... को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। ... में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक ... अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान क...।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री गोगसिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 03 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना—कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना—कुचामन

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना—कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:31 IST
Reason: SelfAttested